



शापथ-पत्र

1492
B.4-12-20

मैं संगेन कालोन गिधी, पिता स्व. हिरोनिमुस गिधी उम्र लगभग 62 वर्ष ग्राम करमटोली थाना व जिलागुमला झारखण्ड हलफन बयान करता हूँ कि -

1. यही मैं उक्त पते का निवासी हूँ।
2. यही मेरा खरीदने जमीन ग्राम करमटोली के अंदर खंता नं. 0.55 ए. फचपन प्लाट नं. 105 स्क सौ पांच रकबा 0.25 ए. पचीस डीसिमिल में से 0.06 ए. [छव डी0] डीसिमिल जमीन मेरे हिस्से में थाना नं. 58 में रिजल्ट है।
3. यह कि मैं अपने उक्त हिस्से की प्लाट पर मकान निर्माण करना चाहता हूँ।
4. यही प्लॉज नं. 427 [3] झारखण्ड म्यूनिसिपल स्कट - 2001 के तहत नगर परिषद गुमला हेतु सड़क चौड़ीकरण हेतु वर्ग मीटर जमीन छोड़कर मकान बनाऊंगा या बहारदिवारो दूंगा।



सत्यापन- S.K. Gidhi

मैं, संगेन कालोन गिधी, हलफन तसदीक करता हूँ कि उपर लिखा क्ला बयान मेरे जानकारी वो विश्वास स सहीस त्य स्वं दुरुस्त है। नो. गुमला।

> S.K. Gidhi

मेरे समक्ष संगेन कालोन गिधी ने शापथ ग्रहण किया कि नकी पहचानकर्ता, श्री बी.स. सिंह अधि. गुमला ने की है।

B. Singh
AO
4/12/20

क्र.सं. 1492/2020 ई.।
Authorised Under Section-5
Of The Notaries Act, 1952
(Act N. 53 Of 1952)
Along With Notaries Rules-1956

नोटरी गुमला
MANU GOPE
(NOTARY)
Distt-Gumla